2023/11

13/01/23
18/01/23

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थना पत्र	9/2023	9-1-23	बनेड़ा			

अनवान

श्री श्रीमति शान्ती देवी प० जगदीश खटीक नि० बनेड़ा बनाम श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा

निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेस्पो.

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act

वकील वादी
ए. श्री K. K. जीनगर

वकील प्रतिवादी
ए. श्री ....

App. A
Crim - I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

(1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा** मुकाम **बनेड़ा**

श्रीमति ज्ञानी देवी खटीक बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा 136 व 131 LRAct नं. 9 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-1-23	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13/01/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 09/01/23	
13/01/23	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें /अन्य राजकीय में व्यस्त है।/अतः आइन्दा पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 17/01/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) आज्ञा से रीडर	
17/01/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में Tdr, Banera से रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली पूर्व में किया हुआ है। Tdr Banera से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
	आराजीयात सं. 2652 को 4 टुकड़ो मे विभाजित किया जाना बताया गया जो निम्न अनुसार है 2652/1 → ग़ै. मु. चाह – 0.0126 Hec 2652/2 → ग़ै. मु. रास्ता – 0.0253 Hec 2652/A → ग़ै. मु. उत्तर बिलानाम – 0.2529 Hec 2652/B → ग़ै. मु. उत्तर बिलानाम – 0.1012 Hec उपरोक्त संदर्भ मे विभाजन हेतु नक्शा ट्रेस भी संलग्न है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया व बताया कि प्रार्थी ने पूर्व मे अपनी अन्य आराजीयात हेतु 2652 बिलानाम भूमि मे से रास्ता खरीदा गया था तथा उपरोक्त बिलानाम भूमि मे पूर्व मे एक ग़ैर मुमकिन चाह स्थित थी। परन्तु उपरोक्त रास्ते के खरीदने के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे अंकन करते हुवे प्रार्थी के रास्ते (खरीदे हुए को) और मुमकिन चाह	

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रदर्शित किया गया व उसकी प्रदर्शित भाग के बची बिलानाम भूमि को रास्ता प्रदर्शित किया गया जिस वजह से प्रार्थी को अपनी जमीन के कब्जे जाने हेतु मुश्किल पैदा हो रही है तथा कहा की प्रार्थी का पति कैंसर से पीड़ित है व अनावश्यक मानसिक तनाव से ग्रस्त है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। सरकारी पैरोकार भी स्वयं उपस्थित व सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया की न्यायहित में जो पूर्व में त्रुटि दौराने नामान्तरण हुई है उसे दुरुस्त किया जाना उचित है व Tdo, Bausra द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार उपरोक्त बिलानाम खसरा नं. 2612 के 4 टुकड़े कर राजस्व रिकार्ड में व नक्शे में शुद्ध किया जाना न्यायहित में उचित है।	

प्रार्थी के अपठनीय दस्तावेज, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वकील प्रार्थी की बहस, नि०, Banera द्वारा प्राप्त जवाब व पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब बहस एवं कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी नं. 2652 में रिकार्ड व मौके व नक्शे अनुसार भिन्नता है तथा न्यायहित में यह त्रुटि दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः यह आदेशित किया जाता है कि आराजीयात 2652, ग्राम बनेड़ा पटवार मंडल बनेड़ा, भू अभि. वृत बनेड़ा तहसील बनेड़ा की आराजी नं. 2652 को 4 टुकड़ों के मिसल अनुसार व नि०, Banera के प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किया जाकर रिकार्ड, जमाबंदी व नक्शे

5

मै दुरुस्ती की जावे।

2652/1 - रकबा 0.0126 Hec. किस्म और मुमकिन चाह

2652/2 रकबा 0.0253 Hec. किस्म और मुमकिन रास्ता बिलानाम

2652/A रकबा 0.2529 Hectare किस्म और मुमकिन ऊसर बिलानाम

2652/B रकबा 0.1012 Hectare किस्म और मुमकिन ऊसर बिलानाम

उपरोक्त आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया व आदेश पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

13/01/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 9/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. डाली पत्नी जगदीश चन्द्र खटीक निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक 17.01.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अन्तर्गत दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा तहसील बनेड़ा के आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 गे.मु. रास्ता, आराजी नं. 2652/1 गे.मु. चाह आराजी नं. 2652 बिलानाम गे.मु. उसर दर्ज रिकार्ड है।

जमाबन्दी में दर्ज आराजी नं. 2652/2 गे.मु. रास्ता रकबा 0.0253 है0 है जो आराजीयात प्रार्थी द्वारा खरीद कर रास्ता दर्ज करवाया गया था। पटवार हल्का द्वारा उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करते वक्त नामान्तरण में रास्ते के आराजी नं. 2652/1 दर्ज किये थे तथा राजस्व नक्शे में भी आराजी नं. 2652/1 दर्ज किये थे तथा जमाबन्दी में आराजी नं. 2652/2 में दर्ज किये गये थे। पटवार हल्का द्वारा आराजी नं. 2652/1 नक्शे में दर्ज करते समय शेष आराजीयात के दो अलग–अलग खसरे नम्बर अंकित किये जाने चाहिये थे जो नहीं किये गये तथा पूर्व में आराजी नं. 2652/1 गे.मु. चाह के खसरा नं. नक्शे में दर्ज नहीं किये एवं रास्ते के नम्बर 2652/1 दर्ज कर दिये गये थे।

ग्राम बनेड़ा की आराजी नं. 2652/1 रकबा 0.0126 है0 गे.मु. चाह, आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 गे.मु. रास्ता दर्ज है के साथ आराजी नं. 2652 के दो हिस्सों के अलग–अलग नम्बर अंकित करते हुए तरमीम दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी तहसीलदार बनेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने पत्र दिनांक 12.01.2023 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बनेड़ा के आराजी नं. 2652/1, 2652/2, 2652 के रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट अनुसार पाया गया की आराजी नं. 2652/1 किस्म गे.मु. चाह, एवं आराजी नं. 2652/2 किस्म गे.मु. रास्ता तथा आराजी नं. 2652 किस्म गे.मु. उसर दर्ज रेकार्ड है तथा नक्शे में आराजी नं. 2652/1 गे.मु. चाह, आराजी नं. 2652 के मध्य में तथा 2652/2, 2652 के पश्चिम में है। जबकि मौके पर आराजी नं. 2652/1 वास्तव में आराजी नं. 2652 के पूर्वी कोने में स्थित है। जिसे प्रस्तावित नक्शे में दर्शाया गया है। इस प्रकार

17/01/23

मूल आराजी नं. 2652 के कुल 4 टुकडों में विभाजित होगा जिसके प्रस्तावित आराजी नं. निम्न प्रकार हैः–

आराजी नं. 2652/1 रकबा 0.0126 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता, आराजी नं. 2652/ए रकबा 0.2529 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम, आराजी नं. 2652/बी रकबा 0.1012 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम, जिन्हें प्रस्तावित नक्शे में दर्शाया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में तहसीलदार बनेडा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आराजी नं. 2652 को 4 टुकडों में विभाजन किया जाना उचित है जो निम्नानुसार हैः– आराजी नं. 2652/1 रकबा 0.0126 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता, आराजी नं. 2652/ए रकबा 0.2529 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम, आराजी नं. 2652/बी रकबा 0.1012 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित है। उपरोक्त के अवलोकन व सरकरी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम बनेड़ा के आराजी नं. 2652 के नक्शे, जमाबन्दी व मौके में भिन्नता पायी गयी। अतः यह उचित है कि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उपरोक्त आराजीयात 2652 को 4 टुकडों में विभाजन किया जाना उचित है जो निम्नानुसार हैः– आराजी नं. 2652/1 रकबा 0.0126 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता, आराजी नं. 2652/ए रकबा 0.2529 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम, आराजी नं. 2652/बी रकबा 0.1012 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम भूमि का उपरोक्त विभाजन/रिकार्ड में दुरूस्ती संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से ग्राम बनेड़ा के आराजी नं. 2652 के नक्शे, जमाबन्दी व मौके में भिन्नता पायी गयी। अतः यह उचित है कि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में एकरूपता लाने हेतु न्याय हित में उपरोक्त आराजीयात 2652 को 4 टुकडों में विभाजन किया जावें जो निम्नानुसार होः– आराजी नं. 2652/1 रकबा 0.0126 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, आराजी नं. 2652/2 रकबा 0.0253 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता, आराजी नं. 2652/ए रकबा 0.2529 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम, आराजी नं. 2652/बी रकबा 0.1012 है0 किस्म गैर मुमकिन उसर बिलानाम भूमि किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा द्वारा उपरोक्त विभाजन/रिकार्ड में दुरूस्ती संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/01/23

(गोविन्द सिंह भीचर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा